मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय: "ऊर्जा भवन "जी.पी.एच .परिसर, पोलोग्राउंड, इंदौर-452003

CIN: U40109MP2002SGC015121; Website: www.mpwz.co.in; E-mail ID mpwzrecruitment@gmail.com

दूरभाष: 0731-2426346 फेक्स नं. 0731-2423300

क्र. प्र.नि./प.क्षे./सं.स-I/मा.सं./2024/17825 इंदौर, दिनांक: 09-12-2024

म.प्र. की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन/ नियम पुस्तिका 2024-25

म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की निम्नलिखित उत्तरवर्ती कंपनियों के लिए जो कि विद्युत के उत्पादन, विद्युत के वितरण, विद्युत के पारेषण एवं विद्युत के प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत है, के विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

स.क्र.	कंपनी का नाम	मुख्य कार्य	वैबसाइट
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	विद्युत का वितरण	mpwz.co.in
2	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	विद्युत का पारेषण	mptransco.in
3	एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	विद्युत का प्रबंधन	mppmcl.com
4	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	विद्युत का वितरण	mpez.co.in
5	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	विद्युत का वितरण	portal.mpcz.in
6	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	विद्युत का उत्पादन	mppgcl.mp.gov.in

इन सेवा शर्तों में, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, 'कंपनी' शब्द जब भी उपयोग किया जाएगा, का अर्थ पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी होगा |

विज्ञापित किए जाने वाले पदों का विवरण :

1. कार्यालय सहायक श्रेणी-III प्रशिक्षु (कुल पद 818)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र.वि.वि.कं.लि., इंदौर	अना.	56	29	7	3	1	0	64	32	96	VI-8
		अ.जा	40	16	4	2	0	0	44	18	62	HI-7
		अ.ज.जा	58	21	5	2	0	0	63	23	86	LD-00
		अ.पि.व	26	13	7	3	0	0	33	16	49	MD-7
		ई.डब्लू.एस	20	11	3	1	0	0	23	12	35	
		योग	200	90	26	11	1	0	227	101	328	22*

2	एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर	अना.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	VI-0
		अ.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	HI-0
		अ.ज.जा.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	LD-1
		अ.पि.व	1	1	0	0	1	0	2	1	3	MD-0
		ई.डब्लू.एस.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
		योग	4	1	0	0	2	0	6	1	7	1*
3	म.प्र.पावर जनरेटिंग.कं.लि., जबलपुर	अना.	6	4	1	0	0	0	7	4	11	VI-0
		अ.जा	4	2	1	0	0	0	5	2	7	HI-0
		अ.ज.जा.	9	5	1	0	0	0	10	5	15	LD-0
		अ.पि.व	2	2	1	0	0	0	3	2	5	MD-0
		ई.डब्लू.एस	4	2	1	0	0	0	5	2	7	
		योग	25	15	5	0	0	0	30	15	45	0
4	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	अना.	64	31	7	4	0	0	71	35	106	VI-6
		अ.जा	38	18	4	2	0	0	42	20	62	HI-6
		अ.ज.जा.	46	23	5	3	0	0	51	26	77	LD-6
		अ.पि.व	33	16	3	2	0	0	36	18	54	MD-5
		ई.डब्लू.एस	23	11	3	1	0	0	26	12	38	
		योग	204	99	22	12	0	0	226	111	337	23*
कुल योग			433	205	53	23	3	0	489	228	717	46*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र.वि.वि.कं.लि., इंदौर	अ.पि.व	31	15	0	0	0	0	31	15	46	0
2	एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	म.प्र.पावर जनरेटिंग.कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	3	1	0	0	0	0	3	1	4	0
4	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	अ.पि.व	31	15	3	2	0	0	34	17	51	0
कुल योग			65	31	3	2	0	0	68	33	101	0
महायोग (A+B)			**498**	**236**	**56**	**25**	**3**	**0**	**557**	**261**	**818**	**46***

2. लाईन परिचारक (वितरण) प्रशिक्षु (कुल पद 1196)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र.वि.वि.कं.लि., इंदौर	अना.	31	0	21	0	53	0	105	0	105	VI-6
		अ.जा	19	0	12	0	31	0	62	0	62	HI-6
		अ.ज.जा	33	0	15	0	39	0	87	0	87	LD-6
		अ.पि.व	5	0	21	0	28	0	54	0	54	MD-6
		ई.डब्लू.एस	11	0	8	0	19	0	38	0	38	
		योग	99	0	77	0	170	0	346	0	346	24*
2	म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर	अना.	49	0	32	0	81	0	162	0	162	VI-9
		अ.जा	29	0	19	0	48	0	96	0	96	HI-9
		अ.ज.जा	36	0	24	0	60	0	120	0	120	LD-9
		अ.पि.व	24	0	17	0	42	0	83	0	83	MD-9
		ई.डब्लू.एस	50	0	13	0	0	0	63	0	63	
		योग	188	0	105	0	231	0	524	0	524	36*
3	म.प्र. मध्य क्षेत्र वि. वि. कं. लि., भोपाल	अना.	16	0	11	0	27	0	54	0	54	VI-3
		अ.जा	10	0	6	0	16	0	32	0	32	HI-3
		अ.ज.जा.	12	0	8	0	20	0	40	0	40	LD-3
		अ.पि.व.	8	0	6	0	14	0	28	0	28	MD-3
		ई.डब्लू.एस	6	0	4	0	10	0	20	0	20	
		योग	52	0	35	0	87	0	174	0	174	12*
कुल योग			339	0	217	0	488	0	1044	0	1044	72*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र.वि.वि.कं.लि., इंदौर	अ.पि.व.	26	0	0	0	24	0	50	0	50	0
2	म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपु	अ.पि.व.	23	0	15	0	38	0	76	0	76	0

3	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	अ.पि.व.	8	0	5	0	13	0	26	0	26	0
कुल योग			57	0	20	0	75	0	152	0	152	0
महायोग (A+B)			**396**	**0**	**237**	**0**	**563**	**0**	**1196**	**0**	**1196**	**72***

3. सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु (कुल पद 07)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	2	1	0	0	0	0	2	1	3	VI-1
		अ.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	HI-0
		अ.ज.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	LD-0
		अ.पि.व	0	1	0	0	0	0	0	1	1	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	4	2	0	0	0	0	4	2	6	1*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
महायोग (A+B)			**5**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**2**	**7**	**1***

4. कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) – मैकेनिकल प्रशिक्षु (कुल पद 14)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	3	1	0	1	0	0	3	2	5	VI-1
		अ.जा	1	0	1	0	0	0	2	0	2	HI-1
		अ.ज.जा	0	1	1	0	0	0	1	1	2	LD-0
		अ.पि.व	0	1	0	1	0	0	0	2	2	MD-1
		ई.डब्लू. एस	1	0	1	0	0	0	2	0	2	
		योग	5	3	3	2	0	0	8	5	13	3*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
महायोग (A+B)			**6**	**3**	**3**	**2**	**0**	**0**	**9**	**5**	**14**	**3***

5. कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) – इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षु (कुल पद 03)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	VI-0
		अ.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HI-0
		अ.ज.जा	1	0	1	0	0	0	2	0	2	LD-0
		अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MD-0
		ई.डब्लू. एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	2	0	1	0	0	0	3	0	3	0

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
2	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (A+B)			**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**

6. कनिष्ठ अभियंता/सहायक प्रबन्धक (सिविल) प्रशिक्षु (कुल पद 30)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	अना.	2	1	0	0	0	0	2	1	3	VI-0
		अ.जा	2	0	0	0	0	0	2	0	2	HI-0
		अ.ज.जा	2	1	0	0	0	0	2	1	3	LD-0
		अ.पि.व	2	0	0	0	0	0	2	0	2	MD-0
		ई.डब्लू.एस	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
		योग	9	2	0	0	0	0	9	2	11	0
2	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	अना.	2	1	1	0	0	0	3	1	4	VI-0
		अ.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	HI-1
		अ.ज.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	LD-0
		अ.पि.व	1	1	1	0	0	0	2	1	3	MD-0
		ई.डब्लू.एस	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
		योग	6	2	2	0	0	0	8	2	10	1*
3	एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर	अना.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	VI-0
		अ.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HI-0
		अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LD-0
		अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
4	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	अना.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	VI-0
		अ.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	HI-0
		अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LD-0
		अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0

5	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	अना.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	VI-0
		अ.जा	2	0	0	0	0	0	2	0	2	HI-0
		अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LD-0
		अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	MD-0
		ई.डब्लू.एस	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
		योग	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0
कुल योग			23	4	2	0	0	0	25	4	29	1*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F +H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	अ.पि.व.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	अ.पि.व.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
4	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	अ.पि.व.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	अ.पि.व.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
महायोग (A+B)			**24**	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**26**	**4**	**30**	**1***

7. कनिष्ठ अभियंता/सहायक प्रबंधक (पारेषण/वितरण/संयंत्र)-इलैक्ट्रिकल प्रशिक्षु (कुल पद 237)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	अना.	14	2	2	1	3	0	19	3	22	VI-6
		अ.जा	5	1	2	0	0	0	7	1	8	HI-4
		अ.ज.जा	2	1	2	0	3	0	7	1	8	LD-0
		अ.पि.व	3	1	3	1	0	0	6	2	8	MD-2
		ई.डब्लू.एस	1	2	1	0	0	0	2	2	4	
		योग	25	7	10	2	6	0	41	9	50	12*
2	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	अना.	4	1	1	0	6	1	11	2	13	VI-1
		अ.जा	2	1	1	0	2	1	5	2	7	HI-1
		अ.ज.जा	3	1	1	0	4	1	8	2	10	LD-1
		अ.पि.व	2	1	1	0	2	1	5	2	7	MD-0
		ई.डब्लू.एस	2	0	0	0	2	0	4	0	4	
		योग	13	4	4	0	16	4	33	8	41	3*
3	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	अना.	6	1	1	0	6	1	13	2	15	VI-1
		अ.जा	2	1	1	0	3	1	6	2	8	HI-1
		अ.ज.जा	2	1	1	0	3	1	6	2	8	LD-2
		अ.पि.व	2	1	1	0	3	1	6	2	8	MD-1
		ई.डब्लू.एस	2	0	1	0	2	1	5	1	6	
		योग	14	4	5	0	17	5	36	9	45	5*
4	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	अना.	14	3	3	0	2	1	19	4	23	VI-2
		अ.जा	8	2	2	0	2	0	12	2	14	HI-2
		अ.ज.जा	10	2	2	0	2	0	14	2	16	LD-1
		अ.पि.व	5	2	1	0	1	0	7	2	9	MD-1
		ई.डब्लू.एस	4	1	2	0	1	0	7	1	8	
		योग	41	10	10	0	8	1	59	11	70	6*
5	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	1	0	1	0	0	0	2	0	2	VI-0
		अ.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	HI-0
		अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LD-0
		अ.पि.व	1	0	1	0	0	0	2	0	2	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	3	0	2	0	0	0	5	0	5	0
कुल योग			96	25	31	2	47	10	174	37	211	26*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	अ.पि.व	3	1	0	0	0	0	3	1	4	0
2	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	अ.पि.व	2	0	1	0	2	1	5	1	6	0
3	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	अ.पि.व	2	1	1	0	2	1	5	2	7	0
4	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	अ.पि.व	5	1	1	0	1	1	7	2	9	0
5	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग			12	3	3	0	5	3	20	6	26	0
महायोग (A+B)			**108**	**28**	**34**	**2**	**52**	**13**	**194**	**43**	**237**	**26***

8. सहायक विधि अधिकारी/ विधि सहायक प्रशिक्षु (कुल पद 31)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	अना.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	VI-0
		अ.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HI-0
		अ.ज.जा	0	1	0	0	0	0	0	1	1	LD-0
		अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0
2	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	अना.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	VI-0
		अ.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HI-0
		अ.ज.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	LD-0
		अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0
3	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	अना.	4	3	1	0	0	0	5	3	8	VI-0
		अ.जा	3	1	0	0	0	0	3	1	4	HI-1
		अ.ज.जा	2	2	1	0	0	0	3	2	5	LD-1
		अ.पि.व	2	1	1	0	0	0	3	1	4	MD-0
		ई.डब्लू.एस	1	1	0	0	0	0	1	1	2	
		योग	12	8	3	0	0	0	15	8	23	2*
कुल योग			16	9	3	0	0	0	19	9	28	2*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	अ.पि.व	2	1	0	0	0	0	2	1	3	0
कुल योग			2	1	0	0	0	0	2	1	3	0
महायोग (A+B)			**18**	**10**	**3**	**0**	**0**	**0**	**21**	**10**	**31**	**2***

9. सहायक प्रबंधक (मा.सं.) प्रशिक्षु (कुल पद 12)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कं.लि., इंदौर	अना.	4	0	0	0	0	0	4	0	4	VI-0
		अ.जा	2	0	0	0	0	0	2	0	2	HI-0
		अ.ज.जा	2	0	0	0	0	0	2	0	2	LD-0
		अ.पि.व	2	0	0	0	0	0	2	0	2	MD-0
		ई.डब्लू.एस	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
		योग	11	0	0	0	0	0	11	0	11	0

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कं.लि., इंदौर	अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
महायोग (A+B)			**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**12**	**0**

10. सहायक प्रबंधक (सू.प्रौ.) प्रशिक्षु (कुल पद 4)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कं.लि., इंदौर	अना.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VI-0
		अ.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	HI-0
		अ.ज.जा	1	1	0	0	0	0	1	1	2	LD-0
		अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MD-0
		ई.डब्लू.एस	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
		योग	3	1	0	0	0	0	3	1	4	0

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कं.लि., इंदौर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (A+B)			**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**4**	**0**

11. संयंत्र सहायक – मैकेनिकल प्रशिक्षु (कुल पद 46)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	12	0	2	0	0	0	14	0	14	VI-1
		अ.जा	7	0	1	0	0	0	8	0	8	HI-1
		अ.ज.जा	6	0	2	0	0	0	8	0	8	LD-1
		अ.पि.व	5	0	0	0	0	0	5	0	5	MD-1
		ई.डब्लू.एस	5	0	1	0	0	0	6	0	6	
		योग	35	0	6	0	0	0	41	0	41	4*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F +H)	K=(E+G+I)	L	M
2	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0
महायोग (A+B)			**40**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**46**	**0**	46	**4***

12. संयंत्र सहायक – इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु (कुल पद 28)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F +H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	7	0	0	0	0	0	7	0	7	VI-0
		अ.जा	4	0	0	0	0	0	4	0	4	HI-0
		अ.ज.जा	5	0	1	0	0	0	6	0	6	LD-1
		अ.पि.व	4	0	0	0	0	0	4	0	4	MD-1
		ई.डब्लू.एस	3	0	1	0	0	0	4	0	4	
		योग	23	0	2	0	0	0	25	0	25	2*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F +H)	K=(E+G+I)	L	M
2	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0
महायोग (A+B)			**26**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**28**	**0**	28	**2***

13. औषधी संयोजक (फार्मासिस्ट) (कुल पद 2)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VI-0
		अ.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	HI-0
		अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LD-0
		अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
2	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (A+B)			**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**

14. भण्डार सहायक प्रशिक्षु (कुल पद 18)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	3	2	1	0	0	0	4	2	6	VI-0
		अ.जा	2	1	0	0	0	0	2	1	3	HI-0
		अ.ज.जा	2	1	0	0	0	0	2	1	3	LD-1
		अ.पि.व	2	1	0	0	0	0	2	1	3	MD-0
		ई.डब्लू.एस	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
		योग	10	5	1	0	0	0	11	5	16	1*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
2	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0
महायोग (A+B)			**11**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**12**	**6**	**18**	**1***

15. कनिष्ठ शीघ्रलेखक (कुल पद 18)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	3	2	1	0	0	0	4	2	6	VI-0
		अ.जा	2	1	0	0	0	0	2	1	3	HI-0
		अ.ज.जा	2	1	0	0	0	0	2	1	3	LD-0
		अ.पि.व	2	1	0	0	0	0	2	1	3	MD-0
		ई.डब्लू.एस	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
		योग	10	5	1	0	0	0	11	5	16	0

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0
महायोग (A+B)			**11**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**12**	**6**	**18**	**0**

16. ए.एन.एम (कुल पद 05)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	1	1	0	0	0	0	1	1	2	VI-0
		अ.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	HI-0
		अ.ज.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	LD-0
		अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	4	1	0	0	0	0	4	1	5	0

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (A+B)			**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**	**5**	**0**

17. ड्रेसर (पट्टी बंधक) (कुल पद 03)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	VI-1
		अ.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HI-0
		अ.ज.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	LD-0
		अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	3	0	0	0	0	0	3	0	3	1*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (A+B)			**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**1***

18. स्टाफ नर्स (कुल पद 01)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	VI-0
		अ.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HI-1
		अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LD-0
		अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (A+B)			**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1***

19. लैब टेक्नीशियन (प्रयोगशाला तकनीशियन) (कुल पद 05)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	1	1	0	0	0	0	1	1	2	VI-0
		अ.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	HI-0
		अ.ज.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	LD-1
		अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	4	1	0	0	0	0	4	1	5	1*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (A+B)			**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**	**5**	**1***

20. रेडियोग्राफर (कुल पद 05)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	1	1	0	0	0	0	1	1	2	VI-0
		अ.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	HI-0
		अ.ज.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	LD-0
		अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	4	1	0	0	0	0	4	1	5	0

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (A+B)			**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**	**5**	**0**

21. ईसीजी टेक्नीशियन (कुल पद 06)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	2	1	0	0	0	0	2	1	3	VI-0
		अ.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	HI-0
		अ.ज.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	LD-0
		अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	5	1	0	0	0	0	5	1	6	0

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (A+B)			**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1**	**6**	**0**

22. अग्निशामक (कुल पद 05)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VI-1
		अ.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HI-1
		अ.ज.जा	3	0	0	0	0	0	3	0	3	LD-1
		अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MD-1
		ई.डब्लू.एस	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0
		योग	5	0	0	0	0	0	5	0	5	4*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (A+B)			**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**4***

23. प्रकाशन अधिकारी (कुल पद 01)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	VI-0
		अ.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HI-0
		अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LD-0
		अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (A+B)			**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

24. सुरक्षा सैनिक (कुल पद 31)

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर	अना.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	VI-0
		अ.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HI-0
		अ.ज.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LD-0
		अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MD-1
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1*
2	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अना.	1	1	1	0	0	0	2	1	3	VI-0
		अ.जा	7	0	0	0	0	0	7	0	7	HI-1
		अ.ज.जा	14	0	0	0	0	0	14	0	14	LD-0
		अ.पि.व	4	1	0	0	0	0	4	1	5	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	26	2	1	0	0	0	27	2	29	1*
कुल योग			27	2	1	0	0	0	28	2	30	2*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
कुल योग			1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
महायोग (A+B)			**28**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**29**	**2**	**31**	**2***

25. **प्रोग्रामर प्रशिक्षु (कुल पद 6)**

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि., जबलपुर	अना.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	VI-1
		अ.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HI-1
		अ.ज.जा	1	1	0	0	1	1	2	2	4	LD-1
		अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	MD-1
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	3	1	0	0	1	1	4	2	6	4*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (A+B)			**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**4**	**2**	**6**	**4***

26. **कल्याण सहायक प्रशिक्षु (कुल पद 3)**

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि., जबलपुर	अना.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	VI-0
		अ.जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HI-0
		अ.ज.जा	1	0	0	0	0	0	1	0	1	LD-0
		अ.पि.व	1	0	0	0	0	0	1	0	1	MD-0
		ई.डब्लू.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (A+B)			**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**

27. **सिविल परिचारक प्रशिक्षु (कुल पद 38)**

A. मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है (87%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कं.लि., जबलपुर	अना.	7	3	1	1	0	0	8	4	12	VI-0
		अ.जा	3	2	1	0	0	0	4	2	6	HI-1
		अ.ज.जा	4	2	1	0	0	0	5	2	7	LD-1
		अ.पि.व	3	1	1	0	0	0	4	1	5	MD-0
		ई.डब्लू.एस	1	1	1	0	0	0	2	1	3	
		योग	18	9	5	1	0	0	23	10	33	2*

B. प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है (13%)

स.क्र.	कंपनी का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कं.लि., जबलपुर	अ.पि.व	2	2	0	1	0	0	2	3	5	0
महायोग (A+B)			**20**	**11**	**5**	**2**	**0**	**0**	**25**	**13**	**38**	**2***

***** दिव्यांगजनों हेतु दर्शाई गयी रिक्तियाँ चिंहांकन के संबंध मे म.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अधीन होंगी |

नोट :-

1. संयंत्र सहायक संवर्ग हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन करें ।

2. मध्य प्रदेश की उपरोक्त विद्युत कंपनियां किसी भी समय किसी भी संवर्ग/पद के विज्ञापित पदों की संख्या अपनी आवश्यकता अनुसार बढाने एवं घटाने या पूर्ण पदों को भरने या आंशिक रूप से पदों को भरने या ना भरने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है ।

3. मध्य प्रदेश की उपरोक्त विद्युत कंपनियां किसी भी समय आंशिक अथवा पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द अथवा स्थगित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है । इस हेतु कंपनी कोई भी कारण दिये जाने हेतु बाध्यकारी नही होगी ।

4. उपरोक्त दर्शित रिक्तियों में दिव्यांगजनों हेतु चिन्हित रिक्तियाँ भी दर्शाई गई है, दिव्यांगजनों हेतु दर्शित रिक्तियों पर इस विज्ञापन के बिन्दु क्र. 4.5 में दर्शाई गई प्रक्रिया अनुसार दिव्यांगजनों का चयन किया जाएगा। दिव्यांगजनों के पदों की प्रतिपूर्ती न होने की स्थिति में रिक्तियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के विरुद्ध कैरिफॉरवर्ड किया जावेगा एवं शेष रिक्तियों के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी |

5. अन्य पिछडा वर्ग (OBC) के आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29/09/2022, क्रमांक एफ 3/1/2/0014/2023-जीएडी-आर.सी.-01(जीएडी) दिनांक 26/06/2023, क्रमांक एफ-07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 09/05/2023 एवं ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 02-05/2015/तेरह दिनांक 23/05/2023, क्रमांक एफ 02-05/2015/तेरह दिनांक 30/06/2023 के अनुसार विज्ञापित पदों के 87% पदों (मुख्य भाग) पर जारी किया जाएगा एवं शेष 13% पदों का परिणाम उपरोक्त याचिकाओं के संदर्भ में अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा ।

<u>सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें:-</u>

इन सेवा शर्तों में, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, 'कंपनी' जब भी उपयोग किया जाएगा, का अर्थ पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी होगा |

1. <u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता:-</u>

क्र.	पद	शैक्षणिक अर्हता
1	**<u>कार्यालय सहायक श्रे-III</u> - प्रशिक्षु**	1: उम्मीदवार को केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (12वीं) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए | एवं 2: उक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नांकित में से कोई एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है : (i) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या (ii) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या (iii) NIELIT (पूर्ववर्ती DOEACC) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, या (iv) शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम/ एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या (v) NCVT, नई दिल्ली या SCVT, मध्य प्रदेश से "कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)" में एक वर्ष का पाठ्यक्रम | उपरोक्त कंप्यूटर डिप्लोमा/परीक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार्य होगी: <u>BE /MCA/BCA/MSc (IT/CS)/ BSc (IT/CS)/ M.Tech./ ME</u> (टीप: उल्लेखनीय है की <u>BSc/BCom</u> इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रम जिनमे कंप्यूटर साक्षरता का मात्र एक विषय सम्मिलित हो, को उपरोक्त अर्हता हेतु मान्य नहीं किया जायेगा) एवं 3: उपरोक्त के अतिरिक्त, उम्मीदवार का MPSEDC (पूर्ववर्ती MAP-IT) द्वारा आयोजित सीपीसीटी (CPCT) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है | इस सम्बन्ध में उम्मीदवार के पास वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमे दो विषयों (कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग) में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है | विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए –पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कार्यालय सहायक श्रे-III (संविदा) अथवा समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत विभागीय संविदा उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर संविदा अनुबंध पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो और उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते है, संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

2	**लाईन परिचारक (वितरण)- प्रशिक्षु**	केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं। एवं केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था/ प्राइवेट आईटीआई संस्थान से 2/3 वर्षीय आई.टी.आई. (विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन) परीक्षा उत्तीर्ण (अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोडकर) | आई.टी.आई. में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रीकल सेक्टर से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदानगर आई.टी.आई. से दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। अथवा दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) म.प्र. शासन/ म.प्र. की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जारी तार मिस्त्री (ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य में) प्रमाण-पत्र। विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए – पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत लाईन परिचारक (संविदा) अथवा समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत विभागीय संविदा उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर संविदा अनुबंध पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो और उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते है, संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
3	**सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु**	ए.आई.सी.टी.ई/ यू.जी. सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं। एवं पुलिस/थलसेना/नेवी/आर्मड फोर्स/ पेरामिलिट्री फोर्स/केंद्र या राज्य शासन के इंटेलीजेंस विभाग/ म प्र राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों के सुरक्षा विभाग में अथवा होमगार्ड में सैनिक /लांस नायक/ नायक हवलदार अथवा उच्च पद पर कार्यरत कार्मिक जिन्होने विज्ञापन दिनांक की तिथि को न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा भूतपूर्व सैनिक (Ex-Serviceman) (न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा का अनुभव अनिवार्य)। उपरोक्त विभागों द्वारा अनुशासनहीनता/विभागीय जांच/अस्वस्थता इत्यादि के कारण सेवा से पृथक/बर्खास्त किए गए कार्मिक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे | टीप: निजी/प्राइवेट सुरक्षा संस्थानों मे कार्यरत/अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे |
4	**कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) – मैकेनिकल प्रशिक्षु**	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको

		(समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
5	**कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) – इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षु**	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अनारक्षित एवं म.प्र के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए) / म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए) के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलिकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
6	**कनिष्ठ अभियंता / सहायक प्रबंधक (सिविल) प्रशिक्षु**	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अना./ म.प्र के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 60% अंक (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए) के साथ सिविल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
7	**कनिष्ठ अभियंता / सहायक प्रबंधक (वितरण/पारेषण/ संयंत्र) -इलैक्ट्रिकल प्रशिक्षु**	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अना./ म.प्र के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के लिए न्यूनतम 65% अंक (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 60% अंक (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 55% (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) के साथ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं। विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए – पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में संविदा आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता (वितरण/पारेषण) अथवा समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत विभागीय संविदा उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर संविदा अनुबंध पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो और उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक

		अर्हता पूर्ण करते है, संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने हेतु पात्र होंगे ।
8	**सहायक विधि अधिकारी/ विधि सहायक प्रशिक्षु**	राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अना./ म.प्र के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के लिए न्यूनतम 60% अंक (या समकक्ष सीजीपीए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 55% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) के साथ नियमित पूर्णकालिक एल.एल.बी. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं । हालांकि, वे अभ्यर्थी जिन्होंने राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 5 वर्षीय एलएलबी डिग्री कोर्स अना./ म.प्र. के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के लिए न्यूनतम 60% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 55% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) के साथ उत्तीर्ण किया हो, वे भी पात्र होंगे।
9	**सहायक प्रबंधक (मा.सं.) प्रशिक्षु**	राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण एवं राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से अना./ म.प्र के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के लिए न्यूनतम 60% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 55% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) के साथ मानव संसाधन/श्रम कानून/कार्मिक प्रबंधन में नियमित पूर्णकालिक एक वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं । उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी अर्थात समाज कल्याण/श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन में पीजी डिग्री, कार्मिक प्रबंधन/एचआरएम /एचआरडी/आईआर/एमएसडब्लू में एमबीए/पीजीडीएम, अना./ म.प्र के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के लिए न्यूनतम 60% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 55% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) भी आवेदन कर सकते हैं।

10	**सहायक प्रबंधक (सू.प्रौ.) प्रशिक्षु**	अभ्यर्थी के पास राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय या एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अना./ म.प्र. के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के लिए न्यूनतम 60% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 55% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन के लिए 50% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक बीई/बीटेक उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं या सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक समकक्ष डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के पास आवेदन दिनांक पर निम्नलिखित वैश्विक प्रमाणन में से कोई एक भी होना आवश्यक है – MCSE/ MCSA/ MCSD/ RHCE/ RHCSA/ OCP (DBA & Development)/ CCNA/CCNP /CCI, ITIL (Foundation)/ITIL (Intermediate), SCJA/OCAJP
11	**संयंत्र सहायक – मैकेनिकल प्रशिक्षु**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा म.प्र. शासन/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ मशीनीस्ट/ फिटर / बैल्डर / एच.पी. बैल्डर/ मैकेनिक पंप/ मैकेनिक वाहन / मोटर मैकेनिक / डीजल मैकेनिक ट्रेड में नियमित (Regular) आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
12	**संयंत्र सहायक – इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा म.प्र. शासन / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ इलेक्ट्रिशियन / वायर मेन / इलेक्ट्रॉनिक्स / इन्स्ट्रूमैनटेशन ट्रेड में नियमित (Regular) आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।

		नर्मदानगर, शहडोल, रतलाम, रामपुरा स्थित सेंन्टर ऑफ एक्सिलेंस के अंतर्गत संशोधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में उपरोकतानुसार अर्हकारी अंकों के साथ दो वर्षीय राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट (आई.टी.आई. इलेक्ट्रिकल ट्रेड के समतुल्य) भी मान्य होगा एवं उक्तानुसार अर्हता धारण करने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे ।
13	**औषधी संयोजक** (फार्मासिस्ट)	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति 12 वी (विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ भेषजज्ञ (फार्मेसी) में नियमित डिप्लोमा/ डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं | उपरोक्त के साथ म.प्र. फार्मेसी काउंसिल में भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) के रूप में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।
14	**भण्डार सहायक प्रशिक्षु**	1: उम्मीदवार को केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (12वीं) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए | एवं 2: उक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नांकित में से कोई एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है : (vi) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या (vii) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या (viii) NIELIT (पूर्ववर्ती DOEACC) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, या (ix) शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम/ एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या (x) NCVT, नई दिल्ली या SCVT, मध्य प्रदेश से "कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)" में एक वर्ष का पाठ्यक्रम | उपरोक्त कंप्यूटर डिप्लोमा/परीक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार्य होगी: BE /MCA/BCA/MSc (IT/CS)/ BSc (IT/CS)/ M.Tech./ ME (टीप: उल्लेखनीय है की BSc/BCom इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रम जिनमे कंप्यूटर साक्षरता का मात्र एक विषय सम्मिलित हो, को उपरोक्त अर्हता हेतु मान्य नहीं किया जायेगा) एवं

		3: उपरोक्त के अतिरिक्त, उम्मीदवार का MPSEDC (पूर्ववर्ती MAP-IT) द्वारा आयोजित सीपीसीटी (CPCT) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है | इस सम्बन्ध में उम्मीदवार के पास वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमे दो विषयों (कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग) में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है |
15	**कनिष्ठ शीघ्रलेखक**	1: उम्मीदवार को केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (12वीं) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए | एवं 2: उक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नांकित में से कोई एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है : (xi) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या (xii) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या (xiii) NIELIT (पूर्ववर्ती DOEACC) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, या (xiv) शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम/ एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या (xv) NCVT, नई दिल्ली या SCVT, मध्य प्रदेश से "कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)" में एक वर्ष का पाठ्यक्रम | उपरोक्त कंप्यूटर डिप्लोमा/परीक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार्य होगी: <u>BE /MCA/BCA/MSc (IT/CS)/ BSc (IT/CS)/ M.Tech./ ME</u> (टीप: उल्लेखनीय है की <u>BSc/BCom</u> इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रम जिनमे कंप्यूटर साक्षरता का मात्र एक विषय सम्मिलित हो, को उपरोक्त अर्हता हेतु मान्य नहीं किया जायेगा) एवं 3: उपरोक्त के अतिरिक्त, उम्मीदवार का MPSEDC (पूर्ववर्ती MAP-IT) द्वारा आयोजित सीपीसीटी (CPCT) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है | इस सम्बन्ध में उम्मीदवार के पास वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमे दो विषयों (कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग) में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है | एवं 4: म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण।
16	**ए.एन.एम**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा म.प्र. में संचालित शासकीय महिला बहु उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण केन्द्रों से निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण ।

		उपरोक्त के साथ रजिस्ट्रार, म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से महिला बहु उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
17	**ड्रेसर (पट्टी बंधक)**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण । एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय/संस्थान से ड्रेसर का तीन माह का प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र |
18	**स्टाफ नर्स**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति मे 12 वी (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र,जीव विज्ञान विषयो से) परीक्षा उत्तीर्ण एवं अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्धुत मण्डल की उतरवर्ती कंपनीयो मे कार्यरत नियमित कार्मिको हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियो हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी. जी. पी. ए.) के साथ राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविध्यालय/ संस्थान से नियमित बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । एवं उपरोक्त के साथ म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल मे जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।
19	**लैब टेक्नीशियन (प्रयोगशाला तकनीशियन)**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति 12 वीं (जीव विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से लेब टेक्निशियन में नियमित डिप्लोमा / डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । उपरोक्त के साथ म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
20	**रेडियोग्राफर**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति 12 वीं (जीव विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से रेडियोग्राफर में नियमित डिप्लोमा/ डिग्री / प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । उपरोक्त के साथ म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
21	**ईसीजी टेक्नीशियन**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) परीक्षा पद्धति 12 वीं (जीव विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन अथवा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /

		संस्थान से ईसीजी टेक्निशियन में नियमित डिप्लोमा/ डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उपरोक्त के साथ म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
22	**अग्निशामक**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । एवं म.प्र. शासन/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन मे मुख्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अग्निशमन पाठ्यक्रम की अवधि छः (6) माह से कम नही होनी चाहिये।
23	**प्रकाशन अधिकारी प्रशिक्षु**	ए.ई.टी.सी.आई./यू.सी.जी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्वर्ती म.प्र. राज्य विद्धुत मण्डल की उतरवर्ती कंपनीयो मे कार्यरत नियमित कार्मिको हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियो हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी. जी. पी. ए.) के साथ नियमित (regular) मास कम्युनिकेशन/जन संपर्क/पत्रकारिता मे पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है |
24	**सुरक्षा सैनिक**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति 12 वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । एवं पुलिस / थलसेना / नेवी / आर्म्ड फोर्स / पेरामिलिट्री फोर्स / केंद्र या राज्य शासन के इंटेलीजेन्स विभाग/ होमगार्ड में सैनिक / लांस नायक / नायक हवलदार के रूप में कार्यरत कार्मिक जिंहोने विज्ञापन दिनांक की तिथि को न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा भूतपूर्व सैनिक (Ex- Serviceman) (न्यूनतम दो वर्ष की सेवा का अनुभव अनिवार्य है।) उपरोक्त विभागो द्वारा अनुशासनहीनता/विभागीय जांच/ अस्वस्थता इत्यादि के कारण सेवा से पृथक /बर्खास्त किये गये कार्मिक आवेदन हेतु पात्र नही होंगे। टीप- निजी / प्राइवेट सुरक्षा संस्थाओं में कार्यरत / अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं है ।
25	**प्रोग्रामर प्रशिक्षु**	ए.आई.सी.टी.ई/यू.जी.सी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.ई. (कम्प्यूटर साइंस/आई.टी./इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन)/बी.टेक (कम्प्यूटर साइंस/ आई.टी./इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन)/एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस/आई.टी.)/एम.सी.एम. (कम्प्यूटर साइंस/आई.टी.)/ एम.सी.ए. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । अनिवार्य विशेष अर्हता : 1. डॉटनेट, जावा, पी.एच.पी. प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट किए गए हों (कम से कम 05)

		2. उक्त टेक्नोलॉजी में मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेशन अनिवार्य। अनिवार्य कार्यानुभव : 1. शासकीय संस्थान/ अर्द्धशासकीय संस्थान/केन्द्रीय अथवा राज्य पी.एस.यू. में न्यूनतम 02 वर्ष का कार्यानुभव। 2. केवल प्रोग्रामिंग का अनुभव ही मान्य होगा। शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन एवं साफ्टवेयर सपोर्ट अनुभव मान्य नहीं होगा। विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए – पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में संविदा आधार पर कार्यरत प्रोग्रामर अथवा समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत विभागीय संविदा उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर संविदा अनुबंध पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो और उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते है, संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने हेतु पात्र होंगे
26	**कल्याण सहायक प्रशिक्षु**	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस. डब्ल्यू. (सामाजिक कार्य में मास्टर) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । अनिवार्य विशेष अर्हता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि। अनिवार्य कार्यानुभव : शासकीय संस्थान/ अर्द्धशासकीय संस्थान/केन्द्रीय अथवा राज्य पी.एस.यू. में न्यूनतम 02 वर्ष का कार्यानुभव।
27	**सिविल परिचारक प्रशिक्षु**	केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था/ प्राइवेट आईटीआई संस्थान से 01 वर्षीय आई.टी.आई. (मेसन ट्रेड) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है | आई.टी.आई. में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदानगर आई.टी.आई. से मेसन ट्रेड मे 01 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे ।

2. आयु सीमा:

2.1 आयु सीमा की गणना केलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी 2024 से की जावेगी ।

2.2 न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार रहेगी | सुरक्षा उपनिरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष होगी :-

स.क्र.	आवेदक श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)
1	पुरूष (अनारक्षित वर्ग)/ अन्य राज्य के अभ्यर्थी	40
2	मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला (अनारक्षित वर्ग)	45
3	मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरूष/महिला (आरक्षित वर्ग) (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ई.डब्लू.एस/दिव्यांगजन)	45
4	मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरूष/महिला (शासकीय/निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्थान एवं होम गार्ड कर्मचारी)	45

2.3 आयु सीमा का उपरोक्त प्रावधान म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04.07.2019 द्वारा लागू किया गया है । अन्य पिछडा वर्ग के संबंध में लागू आयु सीमा में छूट केवल म.प्र. के मूल निवासी गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवार पर ही लागू होगी । क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग माना जावेगा ।

2.4 पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में नियमित आधार पर कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा प्रचलित सेवानिवृत्ति की आयु होगी । लाईन परिचारक (वि) के पद हेतु विभागीय कर्मचारियों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होगी।

2.5 पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई सेवा के बराबर आयु सीमा में छूट दी जाएगी (अर्थात प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए आयु में 1 वर्ष की छूट) । यदि किसी संविदा अधिकारी/कर्मचारी को किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा नियुक्ति प्राप्त हो गयी हो तो 05 वर्ष की संविदा अवधि की गणना, सेवा से प्रथक रहने की अवधि को घटा कर की जावेगी | आयु संबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी/कर्मचारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी |

2.6 विक्रम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के ज्ञापन संख्या सी-सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के अनुसार अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी । उदाहरण के लिए विक्रम पुरस्कार से सम्मानित अभ्यर्थी की आयु **42** वर्ष होने की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा **45** वर्ष होगी |

2.7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, म.प्र. सरकार की अंर्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत युगलों के सवर्ण सदस्यों को सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के अनुसार अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए पुरस्कृत युगल के सवर्ण सदस्य की आयु **41** वर्ष होने की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा **45** वर्ष होगी |

2.8 उच्च न्यायालय, जबलपुर की प्रधान सीट द्वारा **WP** संख्या **2108/2022** में पारित आदेश दिनांक **08.02.2022** के अनुपालन में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार को अन्य आरक्षित श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग आदि की आयु के अनुसार छूट दी जाएगी । तथापि, यह छूट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी ।

2.9 भूतपूर्व सैनिक आवेदक उनकी आयु में से की गई रक्षा सेवा की अवधि को घटा सकेंगे, बशर्ते परिणामी आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

2.10 उम्मीदवार की जन्म तिथि जो हाई स्कूल (10 वीं) की मार्कशीट/ प्रमाण-पत्र पर उल्लेखित है, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की वास्तविक जन्म तिथि का उल्लेख है, ही मान्य होगी ।

2.11 शासकीय/निगम/बोर्ड/स्वायत्त संस्थान/मध्य प्रदेश शासन अंतर्गत होम गार्ड के कर्मचारियों के लिए लागू आयु सीमा में छूट तभी स्वीकार्य होगी जब वे ऑनलाईन आवेदन करते समय और दस्तावेज सत्यापन के समय भी निरंतर सेवा में हों। ऑनलाईन आवेदन करने के बाद, यदि वह दस्तावेज सत्यापन के समय त्यागपत्र/निष्कासन या किसी अन्य कारण से सेवा में नहीं रहता/रहती है, तो उसे शासकीय /निगम/ बोर्ड/स्वायत्त संस्थान/ मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत होम गार्ड के लिए लागू आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा ।

2.12 उपरोक्त उल्लेखित आयु सीमा में छूट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही लागू होगी।

2.13 पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरर्ती कंपनियों में कार्यरत विभागीय/संविदा कर्मचारियों/भूतपुर्व सैनिक को छोडकर किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा **45** वर्ष से अधिक नहीं होगी। सुरक्षा उपनिरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक हेतु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा **38** वर्ष से अधिक नहीं होगी

3 आरक्षण :-

3.1 सभी आरक्षण केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी/स्थानीय निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होंगे |

3.2 म.प्र. के मूल निवासी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस आवेदकों हेतु म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार पद आरक्षित रहेंगे । तथापि, अन्य पिछडा वर्ग का आरक्षण लंबित याचिकाओं में समय-समय पर माननीय न्यायालयों के निर्णयों/निर्देशों के अधीन होगा |

3.3 म.प्र. दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, म.प्र. शासन के राजपत्र अधिसूचना क्रमांक288 दिनांक 31.05.2022 द्वारा चिन्हित पदों पर 40 % या उससे अधिक विकलांगता होने पर लागू होंगे | मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों हेतु भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड मे बेरा टेस्ट (Bera test) अनिवार्य है |

3.4 सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन के पत्र क्रमांक एफ 7-47/2016/आ.प्र./एक दिनांक 01/01/2018 के अनुसार धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद जाति के जिन व्यक्तियों द्वारा "मांझी" अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 11/11/2005 के पूर्व शासकीय सेवाओं में नियोजन

कर लिया है, उन्हे संरक्षण प्रदान किया जाएगा, किन्तु उक्त दिनांक के पश्चात उन्हे अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं मानते हुए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा |

3.5 मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र अधिसूचनाक्र.299 दिनांक 31.05.2018 के अनुसार यदि कोई आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना एवं अशोक नगर की सहरिया/ सहारिया आदिम जनजाति, जिला-मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट एवं अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा छिंदवाडा एवं सिवनी की भारिया आदिम जनजाति का है, उक्त पद हेतु आवेदन करता है एवं पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जायेगा | उक्त हेतु आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे |

3.6 पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू "संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम,2023" के अनुसार संबंधित कंपनी में सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद अथवा सीधी भर्ती के रिक्त पदों के 50% तक के पद (दोनों में से जो कम हो), समकक्ष संविदा अधिकारीयों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जायेंगे | यदि किसी संविदा अधिकारी/कर्मचारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, जो नियमित पद से समकक्षता निर्धारण के पश्चात 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो | अगर किसी संविदा अधिकारी/कर्मचारी को संविदा के पद से किसी अवधि मे हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गयी हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की गणना, सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी | पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उनके लिए आरक्षित पदों को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा तथा उसी श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा । इस प्रकार आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (Joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी |

3.7 म.प्र. राज्य के भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के म.प्र. शासन के नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए श्रेणी-3 के पदों पर 10 प्रतिशत एवं श्रेणी-4 के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण हॉरिजान्टल एवं कम्पार्टमेंट वाईज है। यदि चयन सूची में पहले से ही वांछित प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा। म.प्र. राज्य के भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवा के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें स्पष्ट हो कि सेवाकाल के दौरान इन्हें गंभीर दण्ड से दंडित नहीं किया गया है। दंडित भूतपूर्व सैनिक भर्ती हेतु पात्र नहीं होंगे |

3.8 मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसुचित जातियां, अनुसुचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 एवं तत्पश्चात किए गए संशोधनों के अनुसार जाति के आधार पर आरक्षण केवल एस.डी.ओ (राजस्व) मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवारों के लिए लागू होगा |

3.9 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण का लाभ लेने का मापदंड सा.प्र.वि., मध्य प्रदेश शासन के पत्रक्रमांक एफ-07-11/2019/आ/प/एक भोपाल, दिनांक 02.07.2019, क्रमांक एफ

07- 11/2019/आ/प/एक भोपाल दिनांक 18.07.2019 एवं क्रमांक एफ 07-11/2019/आ/प/एक भोपाल दिनांक 22.11.2019 के अनुसार होगा |

3.10 मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 454 दिनांक 17/11/2015 के अनुसार म.प्र. सिविल सेवा (महिलाओ की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अंतर्गत महिलाओ को 33 प्रतिशत समस्तर एवं प्रभागवार (हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज) प्रदान किया जावेगा। महिलाओ हेतु आरक्षित पदो के विरुद्ध योग्य महिला उम्मीदवार ना मिलने की स्थिति मे इन पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जावेगा अपितु उसी श्रेणी के उपलब्ध योग्य पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जावेगा । उपरोक्तानुसर आरक्षण पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों को म.प्र. शासन ऊर्जा विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर उक्त आरक्षण से प्रदान की गयी छूट के अधीन/अनुसार होगा |

3.11 यदि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में कोई संशोधन परिणामों की घोषणा से पहले किया जाता है (अर्थात ऑनलाईन परीक्षा/सीबीटी के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करने की तिथि), तो लागू संशोधन का पालन किया जाएगा |

4 <u>चयन प्रक्रिया :</u>

4.1 आवेदकों का संबंधित पद पर चयन, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) में प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा । कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंको की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का बहुविकल्पीय होगा |

4.2 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जवेगा |

4.3 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) में न्यूनतम कटऑफ अंक 25% होंगे ।

4.4 जो संवर्ग के पद एक से ज्यादा कंपनियों में उपलब्ध है उन पदों हेतु आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय विभिन्न कंपनियों (यथा म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल एवं म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर) मे से क्रमानुसार विकल्प का चुनाव दर्ज करना होगा । उम्मीदवार के चयन होने पर क्रमानुसार दर्ज किए गए विकल्प अनुसार कंपनियों में पद की उपलब्धता एवं मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को कंपनी का आवंटन किया जवेगा |

4.5 दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदको का चयन वाक-इन के माध्यम से किया जायेगा। वाक-इन से आशय है कि, यदि आवेदक विज्ञापित पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव रखता (यदि आवश्यक हो तो) है, तो ऐसे आवेदको द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर उनका चयन निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट के अनुसार (बिना कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के), आवेदको के दस्तावेजो के सफल सत्यापन उपरांत, दिव्यांगजन हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही किया जावेगा । निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में दो या दो से अधिक आवेदकों के प्राप्तांकों के सामान होने पर वरीयता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:

(i) जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |

(ii) एक या एक से अधिक आवेदकों के उपरोक्त शर्त के समान होने पर कक्षा 10 वीं में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |

दिव्यांगजन आवेदको को सलाह दी जाती है कि वे कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) मे सम्मिलित होकर सामान्य भर्ती प्रक्रिया मे भी भाग ले |

4.6 लाईन परिचारक (वितरण) प्रशिक्षु के पद हेतु ऐसे आवेदक जिन्होंने म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी में मीटर वाचक योजना अंतर्गत अनुबंध के आधार पर मीटर वाचक के रूप में कम से कम 3 वर्ष कार्य किया है, को कार्यानुभव के सापेक्ष ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के अधिकतम 10 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जावेंगे, परन्तु ऐसे आवेदक जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को पात्रता नहीं होगी | बोनस अंक की पात्रता केवल ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तो को पूर्ण करते हैं। कार्यानुभव की गणना अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रथक-प्रथक कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि को जोड़कर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक (पूर्ण माह) में की जावेगी। ऑनलाईन प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत अंक अर्जित करने पर ही कार्यानुभव के सापेक्ष पात्रतानुसार अर्जित बोनस अंक जोड़कर संयुक्त प्रावीण्य (मैरिट) सूची संधारित कर चयन प्रक्रिया की जावेगी |

4.7 लाईन परिचारक (वितरण), सुरक्षा उप निरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक हेतु आवेदको को शारीरिक दक्षता परीक्षण मे योग्य पाये जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया मे सम्मिलित होने की पात्रता होगी। उपरोक्त पद संवर्ग में दिव्यांग्जनो हेतु विज्ञापित आरक्षित पद के विरुद्ध आगामी प्रक्रिया हेतु प्रावधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट होगी |

4.8 **<u>लाईन परिचारक (वितरण) प्रशिक्षु के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण :</u>**

(i) शारीरिक दक्षता हेतु चयन: शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनी की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी |

(ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्न परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा :

क. निम्नदाब लाईन के खम्बे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलो ग्राम वजन लेकर 2 मिनिट में चढ़ना एवं उतरना |

ख. टूल-किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनिट में 01 किलो मीटर पैदल चलना।

ग. उपरोक्त दोनों उपखण्ड (अ) एवं (ब) में उल्लेखित शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

घ. एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर पुन: शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जावेगा |

(iii) दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट होगी |

(iv) उम्मीदवारों को प्रावीण्य सूची के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। प्रावीण्य सूची में सम्मिलित होने के बावजूद शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल नहीं होने पर अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जायेगा |

(v) शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक के कोई सूचना कंपनी द्वारा प्रेषित नहीं की जावेगी। इस हेतु अभ्यर्थी कंपनी की वेबसाईट पर अपना स्थान देख सकेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं दस्तावेज के सत्यापन उपरांत अभ्यर्थी को लाईन परिचारक (वितरण) प्रशिक्षु के पद पर नियुक्त किया

जावेगा |

(vi) कार्य की प्रकृति लाईन परिचारक (वितरण) की नियुक्ति पर उम्मीदवार को विद्युत वितरण से संबंधित कार्य, विद्युत लाईन के निर्माण कार्य जिसमें गड्ढा खोदने, सामान की ढुलाई एवं लाईन तैयार करने एवं उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित सभी श्रम साध्य कार्य एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार आवंटित अन्य कार्य करना होगें |

4.9 **सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु एवं सुरक्षा सैनिक प्रशिक्षु के पद हेतु आवश्यक शारीरिक मापदण्ड :** सुरक्षा उप निरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक के पद हेतु आवश्यक शारीरिक मापदण्ड निम्नानुसार है:-

(i)	ऊंचाई	-	पुरुष - न्यूनतम 167.5 से.मी. या उससे अधिक महिला - न्यूनतम 152.4 से.मी. या उससे अधिक
(ii)	सीना	-	पुरुष - बिना फुलाये न्यूनतम 81 से.मी. फुलाने पर न्यूनतम 86 से.मी. (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 से.मी. का अंतर होना आवश्यक है)

(iii) आवेदक के घुटने नहीं मिलना चाहिए एवं पैर के पंजे सपाट नहीं होना चाहिए | (Neither be bow-legged/Knock-knee nor flat footed)

(iv) आवेदक हकला नहीं होना चाहिए |

(v) आवेदक की श्रवण क्षमता एवं दृष्टि अच्छी (बिना चश्मे के 6/6 से कम नही) होना चाहिए। आवेदक को रंगो का भेद करने मे सक्षम होना चाहिये |

(vi) आवेदक का वजन उसकी उम्र/ऊंचाई के अनुपात में होना चाहिए |

4.10 **सुरक्षा उप निरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक के पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण :**

(i) सुरक्षा उप निरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक हेतु कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार शारीरिक मापदण्ड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण अंतर्गत आवेदक को 800 मीटर की दौड़ निम्न अवधि मे पूर्ण करना होगी :

पुरुष	–03 मिनट
महिला	-03 मिनट सेकण्ड 30
भूतपूर्व सैनिक	-03 मिनट सेकण्ड 30

(ii) उपरोक्त 800 मीटर की दौड़ केवल शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए है, एस हेतु पृथक से कोई अंक देय नहीं है | आवेदको को शारीरिक दक्षता परीक्षण मे योग्य पाये जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता होगी |

(iii) उपरोक्त पद संवर्ग में दिव्यांग्जनो हेतु विज्ञापित आरक्षित पद के विरुद्ध ही चयनित अभ्यर्थी को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा से छूट होगी |

4.11 प्रावीण्य सूची परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी। प्रतीक्षा सूची कंपनी की आवश्यकता के अनुसार तैयार की जाएगी। हालांकि, एक वर्ष से पहले भी विशिष्ट आदेश जारी कर भर्ती

प्रक्रिया को बंद किया जा सकता है। आदेश जारी होने के बाद किसी भी उम्मीदवार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

4.12 ऑनलाइन परीक्षा में दो या दो से अधिक आवेदकों के प्राप्तांकों के सामान होने पर वरीयता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:-

(i) जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |

(ii) समान जन्मतिथि होने पर अर्हकारी परीक्षा में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |

(iii) एक या एक से अधिक आवेदकों के उपरोक्त दोनों शर्तों के समान होने पर कक्षा 10 वीं में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |

5 <u>कम्प्यूटर आधारित परीक्षा:-</u>

5.1 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, म.प्र. राज्य के शहरों में आयोजित की जावेगी ।

5.2 आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिये गये परीक्षा शहर के विकल्पों में से अपनी इच्छानुसार शहरों को वरीयता के आधार पर चयन करना होगा । आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों में कोई भी संशोधन करने संबंधी अनुरोध पर विचार नही किया जावेगा । आवेदक द्वारा चुने हुये परीक्षा शहर का आवंटन परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्रों, क्षमता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा । चुने हुये शहरों के अतिरिक्त भी परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

5.3 परीक्षा शहर एवं केंद्र के आवंटन के संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

5.4 कंपनी परीक्षा शहरों/ केंद्रों को आवश्यकता अनुसार जोडने तथा हटाने हेतु अधिकार सुरक्षित रखती है । म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर किसी भी समय बिना कोई कारण बताये परीक्षा शहरो/ परीक्षा केंद्रों को कम अथवा ज्यादा कर सकती है ।

5.5 आवंटित शहर एवं परीक्षा केंद्र की जानकारी आवेदक को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जावेगी।

5.6 परीक्षा केंद्रों मे इलेक्ट्रानिक उपकरणो यथा मोबाईल फोन, टैबलेट, डिजिटल डायरी, किताबे, इत्यादि का प्रवेश एवं उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आवेदक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के पूर्व, ई-प्रवेश पत्र मे दिये गये अनुदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें ।

5.7 मदिरा एवं नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित है, ऐसे आवेदको को परीक्षा केंद्रो मे प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी ।

6: आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार

अनारक्षित वर्ग (UR) के आवेदकों हेतु	- रुपये 1200/-
म.प्र. के मूल निवासी/स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST)/ अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) (OBC)/ दिव्यांगजन (Specially abled)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदकों हेतु	- रुपये 600/-

आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है तथा किसी भी स्थिति में वापस नही किया जावेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम (नेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ यू.पी.आई) से ही स्वीकार किया जावेगा। आवेदन शुल्क जमा किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन में भुगतान विकल्प प्रदान किये गये हैं।

1. ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किये जाने हेतु बैंक लेंन देन शुल्क, यदि लागू हों, का वहन आवेदकों द्वारा ही किया जायेगा।
2. आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क, जैसा लागू हो, एक बार भुगतान करने के बाद न तो किसी भी परिस्थिति में वापस किया जाएगा और न ही इन्हें किसी अन्य भर्ती या चयन के लिए सुरक्षित किया जावेगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन शुल्क तथा अन्य शुल्कों का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता नियम पुस्तिका में उल्लेखित शर्तों अनुसार स्वयं सुनिश्चित कर लें।
3. किसी भी आवेदक द्वारा किसी पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाये। किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन करने कि स्थिति में, उस उम्मीदवार का केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन ही योग्य एवं मान्य होगा। अन्य, एक से अधिक आवेदनों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क वापस नही किया जायेगा।
4. यदि आवेदक एक से अधिक पद पर आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो आवेदक को प्रत्येक पद हेतु पृथक से आवेदन करना होगा |

7. <u>आवेदन कैसे करे:-</u>

7.1 आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से, एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (www.mponline.gov.in अथवा iforms.mponline.gov.in) पर स्वीकार किये जायेगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नही किये जायेंगे।

7.2 ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश/ जानकारी एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (www.mponline.gov.in) के पोर्टल मे उपलब्ध है।

7.3 आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (www.mponline.gov.in) के पोर्टल मे दिये गये अनुदेशो एवं म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर की वेबसाईट में दी गई भर्ती नियम-पुस्तिका का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।

7.4 आवेदक के पास स्वयं का ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन मे पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर का आगामी एक वर्ष तक क्रियाशील होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर को परिवर्तित नही किया जा सकेगा। कंपनी द्वारा सभी महत्वपूर्ण पत्राचार आनलाईन आवेदन मे आवेदक द्वारा पंजीकृत ई-मेल आई.डी अथवा मोबाईल नम्बर पर ही किये जायेगे।

7.5 आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है:-

i. कक्षा दसवीं (10^{th}) की अंकसूची।

ii. म.प्र. मूल निवासी/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी आवेदकों हेतु)।

iii. जाति प्रमाण पत्र (म.प्र के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु)।

iv. आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों हेतु)।

v. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी दिव्यांग आवेदकों हेतु)।

vi. उपरोक्तानुसार संबंधित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/ प्रमाण पत्र।

vii. निर्धारित प्रारूप मे अनुभव प्रमाण पत्र (विभागीय संविदा कार्मिकों हेतु) |

viii. निर्धारित प्रारूप मे अनुभव प्रमाण पत्र (अनुबंधित मीटर वाचकों हेतु) |

ix. नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र (जहां भी लागू हो) |

x. आवेदक का नवीन छायाचित्र (Recent Photograph) |

xi. आवेदक का हस्ताक्षर।

xii. आयु सीमा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु सहायता के लिये आवेदन पोर्टल मे दिये गये "हेल्प डेस्क" टैब के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है अथवा हेल्प लाईन नम्बर - **0755-6720200** पर संपर्क किया जा सकता है।

8. महत्वपूर्ण तिथियाँ:-

विवरण	दिनांक (सम्भावित)
ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	24/12/2024 (10:30Hrs)
ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	23/01/2025 (23:59Hrs)
ऑनलाइन आवेदन मे सुधार करने हेतु समय सीमा	20/01/2025 से 25/01/2025

उपरोक्त तिथियाँ कंपनी की आवश्यकता अथवा अन्य कारणों से परिवर्तित की जा सकती हैं।

ऑनलाइन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा तत्पश्चात दस्तावे ज सत्यापन की तिथियाँ नोटिस के माध्यम से म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर की वेबसाईट में पृथक से सूचित की जावेंगी। आवेदक परीक्षा हेतु ई-प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (www.mponline.gov.in अथवा iforms.mponline.gov.in) पर उपलब्ध आवेदन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगें। आवेदकों को ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने मे कोई कठिनाई अथवा परेशानी उत्पन्न होने पर हेल्प लाईन नम्बर- **0755-6720200** पर संपर्क कर सकते हैं।

9. पात्रता के संबंध में सामान्य शर्तें:

9.1 उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए |

9.2 विभागीय संविदा/नियमित कर्मचारियों के संबंध में अनुभव की गणना के लिए कटऑफ तिथि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी। उम्मीदवार निर्धारित प्रोफार्मा में अधीक्षण यंत्री/महा प्रबंधक या उच्च पद के अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत होगा जो आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

9.3 पात्रता मापदंड, शिक्षा एवं आयु को पूर्ण करने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय /सार्वजनिक क्षेत्र

संगठनों/म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरर्ती कंपनियों में कार्यरत उम्मीदवारों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसमे उम्मीदवार के विरूद्ध "कोई भी विभागीय कार्यवाही संस्थित अथवा लंबित नहीं होने" का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य होगा ।

9.4 एसे उम्मीदवार जिनके तृतीय बच्चे का जन्म दिनांक 26.01.2001 अथवा उसके बाद हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होगे | परंतु एसे उम्मीदवार जिनके पहले बच्चे के बाद जुडवा बच्चे पैदा हुए हों, वे पात्र होंगे ।

9.5 अन्य पिछ्ड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों को पिछले तीन वित्तीय वर्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (तहसीलदार अथवा उच्च पद द्वारा जारी) ।

9.6 ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण का लाभ म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र/एक दिनांक 02.07.2019, क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 18.07.2019 एवं क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22.11.2019 के अनुसार दिया जावेगा । उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी विगत वित्तीय वर्ष का आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा |

9.7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों को म.प्र. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए लागू जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा । दिव्यांगजन उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी/जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

9.8 ऐसे उम्मीदवार जो विवाहित होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर चुके है, म.प्र. शासन के राजपत्र पर प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 10.03.2000 के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है ।

9.9 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. 3-17-96-3-।। भोपाल दिनांक 25.10.1996 के निहित प्रावधान भी लागू होंगे ।

9.10 चयन के समय अथवा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज अंकसूची इत्यादि कूट रचित /फर्जी /बनावटी प्रस्तुत किये है अथवा उसका चयन गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो उसको तत्काल सेवा / अनुबंध से न केवल पृथक किया जाएगा वरन उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

9.11 उम्मीदवार का चयन होने पर कार्य ग्रहण करने से पहले जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

9.12 ऐसे आवेदक जिन्हें शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों/म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरर्ती कंपनियों इत्यादि द्वारा पदच्युत (DISMISS) किया गया हो, को आवेदन की पात्रता नहीं होगी|

9.13 कंपनी किसी भी समय इन शर्तो को बदलने/ संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

9.14 यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी या गलत पायी जाती है, तो सेवा अनुबंध को शुरू से ही शून्य माना जाएगा और बिना किसी नोटिस या नोटिस के बदले पारिश्रमिक के बिना समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।

9.15 कोई भी अधिनियम / कृत्य, जो किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त बनाता है, भी लागू होगा |

9.16 म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्रमांक **C3-13/2019/3/1** दिनांक **12.12.2019** जो कि उत्तरवर्ती कंपनियों द्वारा ग्राह्य किया गया है, के प्रावधान के अनुसार प्रशिक्षण अवधि सहित परिवीक्षा अवधि के दौरान, म.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक **20.07.2017** द्वारा जारी वेतन मैट्रिक्स सहपठित ऊर्जा विभाग के पत्र दिनांक **05.04.2018** अंतर्गत संबन्धित पद के प्रारंभिक वेतन का प्रथम वर्ष में **70%,** दूसरे वर्ष में 80**%** एवं तीसरे वर्ष में **90%** एक मुश्त राशि प्रशिक्षु भत्ता देय होगा । म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. एफ-8-1-2020-नियम-चार दि.22-02-2020 जोकि कि उत्तरवर्ती कंपनियों द्वारा ग्राह्य किया गया है, के प्रावधान के अनुसार प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अन्य भत्तों की पात्रता भी होगी |

10. <u>सेवा सह जमानत अनुबंध:</u>

10.1 बांड की वैधता – अभ्यर्थी को प्रशिक्षण अवधि तथा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत तीन वर्ष की सेवा के लिए निर्धारित प्रारूप में सेवा-सह-जमानती अनुबंध पत्र रू. 500/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp Paper) पर निष्पादित करना होगा।

10.2 बांड की वैधता अवधि के दौरान त्यागपत्र के मामले में अभ्यर्थी से बांड की वसूली-सेवा-अनुबंध-सह-जमानत बांड की राशि जो कि बिन्दु क्र. 15 में दर्शाई गई है क्रमशः अनारक्षित/ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा ।

10.3 किसी उम्मीदवार का पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की किसी भी उत्तरवर्ती कंपनियों में समान या उच्च पद पर चयन होने पर, उसे नोटिस अवधि सहित सेवा अनुबंध सह जमानत बांड की देनदारियों से छूट दी जाएगी। शेष अवधि के लिए सेवा अनुबंध सह जमानत बांड संबंधित कंपनी को स्थानांतरित कर दिया जावेगा ।

11. <u>नोटिस की अवधि:</u>

कंपनी अथवा प्रशिक्षु/कार्मिक एक महीने का नोटिस या नोटिस के बदले एक महीने का पारिश्रमिक देकर बिना किसी उल्लेखित कारण एवं शर्त के सेवा को समाप्त कर सकते हैं |

12 <u>प्रशिक्षण अवधि के दौरान अवकाश:</u>

प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि अनुसार आकस्मिक अवकाश, वैकल्पिक अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश का पात्र होगा। यदि एक बार में चिकित्सा अवकाश की अवधि 3 दिन से अधिक है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक है। यदि उपरोक्त के अतिरिक्त अवकाश (अत्यावश्यकता के मामले में) लिया जाता है, तो प्रकरण नियोक्ता अधिकारी को भेजा जाएगा, जो योग्यता के आधार पर विशेष अवकाश प्रदान करने में अंतिम प्राधिकारी होंगे, जो कि बिना प्रशिक्षुवृत्ति अधिकतम 10 दिवस का होगा। इसके अलावा, इसे बिना प्रशिक्षुवृत्ति के अवकाश के रूप में माना जाएगा साथ ही प्रशिक्षण को उसी अवधि के लिए बढाया जाएगा।

यदि प्रशिक्षु दस दिनों से अधिक समय तक प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहता है, तो उसे निष्कासन की सूचना दी जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति के प्रकरण में मानव संसाधन प्रमुख की स्वीकृति उपरांत नियोक्ता अधिकारी द्वारा अंतिम नोटिस देकर उम्मीदवारी को रद्द किया जावेगा |

13. **प्रशिक्षण अवधि के दौरान कर्तव्य और दायित्व:**

प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उम्मीदवार को नियमित रिक्त पद पर पदस्थ नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण/ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए, पखवाड़े के पूरा होने पर प्रशिक्षु को निर्धारित प्रारूप में एक पाक्षिक रिपोर्ट तुरंत नियंत्रण अधिकारी को जमा करनी होगी, जो उस पर विधिवत ग्रेडिंग अंकित कर उम्मीदवार के अंतिम मूल्यांकन हेतु नियोक्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

14. **प्रशिक्षण:**

पदवार प्रशिक्षण की अवधि (प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि को छोड़कर, यदि कोई हो) नीचे दी गई तालिका अनुसार होगी। प्रशिक्षण अवधि (प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि सहित) को वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) हेतु गणना में जोडा नही जायेगा।

15. **वेतन, अन्य भत्ते, प्रशिक्षण अवधि एवं बॉण्ड राशि:**

वेतन निर्धारण म.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक **20.07.2017** द्वारा जारी वेतन मैट्रिक्स सहपठित ऊर्जा विभाग के पत्र दिनांक **05.04.2018** के अधीन निम्नानुसार होगी |

स.क्र.	**पद**	**वेतनमान (लागू वेतन मेट्रिक्स अनुसार)**			**प्रशिक्षण अवधि**	**बॉण्ड राशि**
		वेतनमान	**वेतनमान का न्युनतम**	**लेवल**		
1	कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन प्रशिक्षु	19500-62000	19500/-	04	06 माह	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
2	लाइन परिचारक (वितरण) प्रशिक्षु	19500-62000	19500/-	04	06 माह	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
3	सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु	22100-70000	22100/-	05	03 माह	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
4	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) – मैकेनिकल प्रशिक्षु	32800-103600	32800/-	08	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु दो लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु.
5	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) – इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षु	32800-103600	32800/-	08	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु दो लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु.
6	कनिष्ठ अभियंता /सहायक प्रबंधक (सिविल) प्रशिक्षु	32800-103600	32800/-	08	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु दो लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु.

स.क्र.	पद	वेतनमान (लागू वेतन मेट्रिक्स अनुसार)			प्रशिक्षण अवधि	बॉण्ड राशि
		वेतनमान	वेतनमान का न्युनतम	लेवल		
7	कनिष्ठ अभियंता /सहायक प्रबंधक (वितरण /पारेषण /संयंत्र) प्रशिक्षु	32800-103600	32800/-	08	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु दो लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु.
8	सहायक विधि अधिकारी/विधि सहायक प्रशिक्षु	32800-103600	32800/-	08	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु दो लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु.
9	सहायक प्रबंधक (मा.सं.) प्रशिक्षु	32800-103600	32800/-	08	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु दो लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु.
10	सहायक प्रबंधक (सू.प्रौ.) प्रशिक्षु	32800-103600	32800/-	08	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु दो लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु.
11	संयंत्र सहायक – मैकेनिकल प्रशिक्षु	25300-80500	25300/-	06	09 माह	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
12	संयंत्र सहायक – इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु	25300-80500	25300/-	06	09 माह	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
13	औषधी संयोजक (फार्मासिस्ट)	19500-62000	19500/-	04	लागू नहीं	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
14	भण्डार सहायक प्रशिक्षु	19500-62000	19500/-	04	09 माह	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
15	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	25300-80500	25300/-	06	लागू नहीं	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
16	ए.एन.एम	19500-62000	19500/-	04	लागू नहीं	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
17	ड्रेसर (पट्टी बंधक)	18000-56900	18000/-	03	लागू नहीं	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
18	स्टाफ नर्स	22100-70000	22100/-	05	लागू नहीं	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
19	लैब टेक्नीशियन (प्रयोगशाला तकनीशियन)	25300-80500	25300/-	06	लागू नहीं	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
20	रेडियोग्राफर	25300-80500	25300/-	06	लागू नहीं	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.

स. क्र.	पद	वेतनमान (लागू वेतन मेट्रिक्स अनुसार)			प्रशिक्षण अवधि	बॉण्ड राशि
		वेतनमान	वेतनमान का न्युनतम	लेवल		
21	ईसीजी टेक्नीशियन	25300-80500	25300/-	06	लागू नहीं	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
22	अग्निशामक	19500-62000	19500/-	04	लागू नहीं	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
23	प्रकाशन अधिकारी प्रशिक्षु	42700-135100	42700/-	10	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु दो लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु.
24	सुरक्षा सैनिक	18000-56900	18000/-	03	लागू नहीं	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.
25	प्रोग्रामर प्रशिक्षु	42700-135100	42700/-	10	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु दो लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु.
26	कल्याण सहायक प्रशिक्षु	32800-103600	32800/-	8	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु दो लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु.
27	सिविल परिचारक प्रशिक्षु	19500-62000	19500/-	04	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रु. एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रु.

16. आचरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में नियम और विनियम:

यदि कोई प्रशिक्षु, प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी कदाचार, गैरकानूनी, धोखाधड़ी और अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो यह प्रशिक्षु को सौंपे गए दायित्वों के लिए अनुपयुक्त बना देगा जोकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंडनीय होगा । प्रशिक्षु पर अधिरोपित की जाने वाली शास्ति निम्नानुसार होंगी :

(i) लघु शास्ति:-

क. एक महीने के प्रशिक्षुवृत्ति रोकने जाना ।

ख. प्रशिक्षु के कारण हुए नुकसान की वसूली । इस तरह के नुकसान का निर्धारण "सक्षम प्राधिकारी" द्वारा किया जाएगा जो कि अंतिम और प्रशिक्षु के लिए बाध्यकारी होगा ।
अथवा
चेतावनी जो प्रशिक्षण के विस्तार/प्रशिक्षण की समाप्ति के उद्देश्य से रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी।

ग. ये दंड एक साथ या अलग-अलग लगाए जा सकते हैं ।

(ii) दीर्घ शास्ति:

संबंधित प्रशिक्षु की सेवा की समाप्ति के आलावा बांड राशि जैसे दायित्व की वसूली के लिए न्यायालयीन सिविल कार्यवाही की जा सकेगी ।

17. नवीन पेंशन योजना (NPS):

कंपनियों में नियुक्ति पर, प्रावधान किए जाने पर नई पेंशन योजना (NPS) पात्रता होगी ।

18. **<u>परिवीक्षा अवधि:</u>**

यह नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि सहित 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन होगी, 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होने पर परिवीक्षा अवधि एक बार एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी एवं विस्तारित परिवीक्षा अवधि में भी प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं होने पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त की जावेगी। परिवीक्षा अवधि को समस्त सेवा लाभों हेतु सेवा अवधि में सम्मिलित किया जावेगा|

19. **<u>संदर्भ जांच, चरित्र सत्यापन और जाति सत्यापन:</u>**

19.1 प्रशिक्षण में नियुक्ति और बाद की नियुक्ति चरित्र और पूर्ववृत्त के संतोषजनक सत्यापन के साथ-साथ कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। उम्मीदवार की नियुक्ति संतोषजनक चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी और किसी भी प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने पर नियुक्ति तत्काल समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी । रिपोर्टिंग के समय उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। संतोषजनक सत्यापन तक, नियुक्ति अनंतिम रहेगी।

19.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में नियुक्ति चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के अलावा सक्षम प्राधिकारी से जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होगी। यदि यह पाया जाता है कि जाति / श्रेणी म.प्र. की अनुसूची में निर्दिष्ट आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है। अथवा प्रस्तुत किया गया जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र गलत/नकली होने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी एवं गलत सूचना प्रस्तुत करने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

19.3 दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए, नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण मध्य प्रदेश शासन, सा.प्र.वि. परिपत्र एफ 8-3/2013/आ.प्र./एक दिनांक 17.07.2014 एवं मध्य प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का पत्र क्र. 6116/1799121/2024/तेरह भोपाल दि.20-08-2024 के अनुसार नि:शक्तता के संतोषजनक सत्यापन के अधीन होगी।

20. **<u>क्षेत्राधिकार</u>**

चयन प्रक्रिया के साथ-साथ सेवा मामलों से उत्पन्न होने वाले कोई भी विवाद कंपनी के मुख्यालय में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र मे ही मान्य होंगे। कंपनी की सेवा म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है।

21. संबंधित कंपनी बिना कोई कारण बताए भर्ती की पूरी/आंशिक प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

टीप: यहां उल्लिखित नियम और शर्तें कंपनी द्वारा नए नियमों/विनियमों को अपनाने या वर्तमान नियमों/विनियमों में संशोधन के मामले में संशोधन/परिवर्तन के अधीन हैं। इस मामले में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। भविष्य मे इस दस्तावेज़ के अंतर्गत यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो त्रुटि सुधार कर दस्तावेज़ मे संशोधन करने के अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेंगे|

(सही/-)

मुख्य महाप्रबंधक (मा. सं. एवं प्रशा.)
म.प्र.प.क्षे वि.वि. कं.लि. इंदौर

(पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों मे नियमित/संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिकों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र प्रारूप)

कार्यालय का नाम :- ....

क्रमांक..........................   दिनांक ....

<u>अनुभव प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. आत्मज/आत्मजा/पति/पत्नि श्री .... कर्मचारी संख्या...................... म.प्र. मध्य/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी/म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी/म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी/ म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के अंतर्गत .... के पद पर नियमित/ संविदा आधार पर कार्यरत/अनुबंधित रहे/रही हैं ।

श्री/श्रीमति/कुमारी .... के कार्यानुभव की अवधि का विवरण निम्नानुसार है :-

01. (पदनाम).. **(नियमित)** के पद पर कार्यरत रहने की अवधि:-

i. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......... वर्ष ....माह.........दिन)

02. (पदनाम).. **(संविदा)** के पद पर कार्यरत रहने की अवधि:-

i. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......... वर्ष ....माह.........दिन)
ii. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......... वर्ष ....माह.........दिन)
iii. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......... वर्ष ....माह.........दिन)
iv. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......... वर्ष ....माह.........दिन)
v. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......... वर्ष ....माह.........दिन)
vi. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......... वर्ष ....माह.........दिन)
vii. कुल अवधि : .... वर्ष ....माह.........दिन

(क्रमांक 01 अथवा 02 में से जो लागू हो उसी का टंकन किया जावे)

प्रमाण पत्र में उल्लेखित कार्य अवधि का मेरे द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों से मिलान किया गया है।

महत्वपूर्ण टीप:

1. अधीक्षण यंत्री/महा प्रबंधक के स्तर अथवा इससे उच्च पद के अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
2. यह प्रमाण पत्र केवल वर्ष 2024-25 में नियमित पद हेतु जारी विज्ञापन के लिये आवेदन हेतु ही वैध होगा।

दिनांक ....   जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्थान ....   (अधीक्षण यंत्री अथवा उच्च अधिकारी)

(पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों अंतर्गत कार्यरत अनुबंधित मीटर वाचकों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र प्रारूप)

कार्यालय का नाम :- ....

क्रमांक..........................   दिनांक ....

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. आत्मज/आत्मजा/पति/पत्नि श्री .... म.प्र. मध्य/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी/म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी/म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी/ म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के अंतर्गत अनुबंधित मीटर वाचक के रूप मे अनुबंधित रहे/रही हैं।

श्री/श्रीमति/कुमारी .... के कार्यानुभव की अवधि का विवरण निम्नानुसार है :-

03. अनुबंधित मीटर वाचक के रूप मे अनुबंधित रहने की अवधि:-

viii. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......... वर्ष ....माह.........दिन)

ix. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......... वर्ष ....माह.........दिन)

x. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......... वर्ष ....माह.........दिन)

xi. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......... वर्ष ....माह.........दिन)

xii. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......... वर्ष ....माह.........दिन)

xiii. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......... वर्ष ....माह.........दिन)

xiv. कुल अवधि : .... वर्ष ....माह.........दिन

प्रमाण पत्र में उल्लेखित कार्य अवधि का मेरे द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों से मिलान किया गया है।

महत्वपूर्ण टीप:

1. कार्यपालन यंत्री के स्तर अथवा इससे उच्च पद के अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
2. यह प्रमाण पत्र केवल वर्ष 2024-25 में नियमित पद हेतु जारी विज्ञापन के लिये आवेदन हेतु ही वैध होगा।

दिनांक ....   जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्थान ....   (कार्यपालन यंत्री अथवा उच्च अधिकारी)